बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर।)

शुक्रवार, तिथि 8 जुलाई, 1983।

विषय-सूची।

	पृष्ठ।
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 39, 71, 73 एवं 74	2—10
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1140, 1836, 1837, 1838, 1840, 1842, 1843 एवं 1844।	11—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	27—201
दैनिक निबंध	203

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

(3) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, डिहरी को फौजदारी मुकदमा करने का आदेश दिया गया था। परन्तु अभी तक फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया गया है।

(4) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(5) सभी विन्दुओं की जांच मुख्यालय के अपर निबंधक (साख) के द्वारा करने का आदेश दिया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जायगी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था।

1850. श्री राम लखण राम रमण—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2217, दिनांक 9 जून, 1982 द्वारा समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचित किया गया है कि सिंघवाड़ा प्रखंड के ग्राम कुमारपट्टी के श्री रवत सिंह द्वारा किये गये सर्वे में रास्ता पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा समाहर्त्ता ने अपने पत्रांक 274, दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 द्वारा सरकार को उक्त ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की गलत सूचना दी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गलत प्रतिवेदन समर्पित करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन से शीघ्र अतिक्रमण हटाना चाहती है?

श्री रमेश झा—(1) वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व विभागीय पत्रांक 2217-रा०, दिनांक 9 जून, 1982 द्वारा समाहर्त्ता से प्रतिवेदन मांगा गया था।

(2) अतिक्रमण हटा दिया गया है।

(3) प्रश्न (1) एवं (2) के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।